न्यायालय उपजिलाधिकारी, एटा

वाद सं0–29/2010 धारा–143 ज0वि0 अधिनियम

मौजा–शीतलपुर परगना एटा सकीट तह0व जिला एटा।

मुहम्मद उमर, सचिव/प्रबन्धक–डा0 लोहिया शिक्षा समिति होली गेट एटा।

बनाम गांवसभा।

निर्णय

प्रार्थी मुहम्मद उमर पुत्र श्री स्व0 श्री काले खाँ सचिव/प्रबन्धक –डा0 लोहिया शिक्षा समिति होली गेट एटा ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि वह मौजा–शीतलपुर परगना एटा सकीट तह0व जिला एटा की खतौनी खाता सं0–347 के गाटा संख्या 735/3.4200है0 की भूमि में से 0.332 है0 के मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर समिति हैं। प्रश्नगत भूमि में कॉलेज संचालित किया जाना है। वादी ने यह भी कहा है कि उक्त गाटा मे विगत कई वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है भूमि आबादी के मध्य है। इसप्रकार वादी ने उक्त भूमि को अकृषक घोषित कराये जाने का निवेदन किया है। उक्त आराजी को आबादी घोषित होने में गांवसभा को कोई आपत्ति नहीं है। साथ में विवादित गाटा से सम्बन्धित उद्धरण खतौनी भी दाखिल की है। इस प्रकार प्रार्थी ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में जांच कराकर जांचोपरान्त अकृषक भूमि घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार एटा से जांच कराई गयी। तहसीलदार एटा ने अपनी जांच आख्या दिनांक 04.07.2010 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विवादित भूमि खाता सं0–347 के गाटा संख्या 735/3.4200है0 की भूमि में से 0.332 है0 भूमि के वादी मालिक काबिज बतौर सहखातेदार अन्य काश्तकारान के साथ अंकित है व कॉलेज का भवन बना है। विवादित गाटा में मौका पर कोई कृषि कार्य मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन व बागवानी आदि के कार्य के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार एटा ने उपरोक्त विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने के बावत आख्या दी है। साथ में स्थल का नक्शा नजरी एवं फोटो चित्र भी दाखिल किया है।

आख्या प्राप्त होने पर विपक्षी सरकार पक्ष हाजिर आये। उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं आयी। वादी मुहम्मद उमर ने स्वंय का कथन अंकित कराया जिसमें उन्होने विवादित भूमि में कोई कृषि कार्य न होने तथा भूमि समिति के नाम होने एवं भूमि शिक्षण कार्य के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने का कथन स्वीकार किया है। विवादित भूमि अकृषक घोषित होने में सहखातेदारान एवं गांवसभा को कोई आपत्ति नहीं है।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर....

Scanned with CamScanner

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि मौजा शीतलपुर की खतौनी खाता सं0–347 के गाटा संख्या 735/3.4200है0 की भूमि मे से 0.332 है0 के काश्तकार मुहम्मद उमर पुत्र श्री स्व0 श्री काले खॉ सचिव/प्रबन्धक –डा0 लोहिया शिक्षा समिति होली गेट एटा संक्रमणीय भूमिधर अभिलेखो में दर्ज कागजात है व भूमि कॉलेज के संचालन हेतु प्रयोज्य है। भूमि खाता सं0–347 के गाटा सख्या 735/3.4200है0 की भूमि में से 0.332 है0 सुरक्षित भूमि नही है। उक्त भूमि मे कोई कृषि कार्य मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन व बागवानी आदि के कार्य नही हो रहा है और न ही कोई वाद सम्बन्धित किसी न्यायालय मे विचाराधीन है। भूमि शिक्षण कार्य के प्रयोग में लाई जा रही है और मौके पर कॉलेज का भवन निर्मित है। जिसकी पुष्टि फोटो छायाचित्र एवं वादी के बयानो से भी होती है। भूमि पूर्णतया अकृषक है। प्रार्थी द्वारा आबादी घोषित किये जाने वाले भू–खण्ड की मालियत जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन कर नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा कर दिया है। तहसीलदार एटा ने भी उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है जो स्वीकार के योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार एटा द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 04.07.2010 स्वीकार योग्य है। उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अकृषक भूमि घोषित विषयक प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा शीतलपुर की खतौनी खाता सं0–347 के गाटा संख्या 735/3.4200है0 की भूमि मे से 0.332 है0 को कृषि भूमि के स्थान पर अकृषक भूमि घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है। आख्या के साथ संलग्न नक्शा नजरी आदेश का अंग रहेगा। आदेश की प्रति अमल–दरामद हेतु तहसीलदार एटा को एवं एक प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित उप–निबन्धक एटा को भेजी जाए। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक–12.08.2010

उप–जिलाधिकारी
एटा

उपजिलाधिकारी/उपजिला मजिस्ट्रेट सदर एटा

TRUE COPY
Reader
D.M. Etah

Scanned with CamScanner